न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 149/2017 निर्णय दिनांक :–07.11.2022

नम्बर व अहकाम की तामील में

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. महावीर पुत्र रंगलाल जाति ढोली उम्रग 40 वर्ष निवासी जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी राज.
2. राजेन्द्र पुत्र रंगलाल जाति ढोली उम्रग 30 वर्ष निवासी जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी राज.
3. नन्दकंवर पुत्री रंगलाल जाति ढोली उम्रग 44 वर्ष निवासी जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी राज.
4. बदाम पुत्री रंगलाल जाति ढोली उम्रग 42 वर्ष निवासी जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी राज.
5. रेखा पुत्री रंगलाल जाति ढोली उम्रग 35 वर्ष निवासी जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी राज.
6. रेना पुत्री रंगलाल जाति ढोली उम्रग 26 वर्ष निवासी जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी राज.
7. सुनिता पुत्री रंगलाल जाति ढोली उम्रग 32 वर्ष निवासी जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी राज.
8. रंगलाल पुत्र श्री रामनारायण जाति ढोली उम्रग 65 वर्ष निवासी जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी राज.

– **प्रार्थी**–

बनाम

1. सोजी पुत्र श्री मांगीलाल जाति गुर्जर उम्र 45 वर्ष निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. देवलाल पुत्र कजोड़ जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. मुकेश पुत्र सोजी जाति गुर्जर उम्र 25 वर्ष निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक राज.

Scanned with CamScanner

पानी देवी पत्नी कजोड़ जाति गुर्जर उम्र .... वर्ष निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक राज.

5. गीता पत्नी सोजी जाति गुर्जर उम्र .....वर्ष निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक राज.

— अप्रार्थीगण —

उपस्थिति :–
श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण न० 1 ता 7 की माता व 8 की पत्नी स्व. सोसर पुत्री कालु जाति ढोली निवासी संथली की खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 417 खसरा न0 430 रकबा 0.29 है0 भूमि वाके ग्राम संथली पटवार हल्का संथली तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। प्रार्थीगण की माता/पत्नी की मृत्यु दिनाक 02.08.16 को ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी में हो चुकी है। वादीगण की मात/पत्नी सोसर की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरण संख्या 1203 दिनांक 10.01.17 के द्वारा खोला जा चुका है। वर्तमान में उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदारी राजस्व इन्द्राज है। प्रार्थीगण की माता/पत्नी स्व. सोसर देवी ग्राम जजावर में अपने ससुराल में निवास करने लग गई थी और उक्त आराजीयात को लगभग 10 वर्ष पूर्व 80,000/– रूपये में अप्रार्थीगण न० 1 के यहां गिरवी रखी थीं। दिनांक 17.07.17 को वादीगण न० 1 व 8 अपनी माता/पत्नी की खातेदारी की भूमि को अप्रार्थीगण के यहां गिरवी से रहनमुक्त करवाने गये तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की आराजीयात को रहनमुक्त करने से मना कर दिया और कहा कि अब खेत में मत आना अब हमारा कब्जा हो गया है और अब हम खेत गिरवीमुक्त नही करेंगे। अप्रार्थीगण ने वादीगण न० 1 ता 8 को कहा कि तुम चाहो तो और रकम ले जाओ उक्त आराजीयात का पंजीयन हमारे कहे अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम करवा दो। प्रार्थीगण न० 1 ता 8 ने अप्रार्थीगण के गिरवीशुद्धा रकम लेने का निवेदन किया और प्रार्थीगण की भूमि को रहनमुक्त करने के लिये कहा तो प्रार्थीगण न० 1 ता 5 गुस्से में आ गये और कहने लगे कि तुम नीच जात के ढोली हो हमारी सरकार में

Scanned with CamScanner

तिक पहुंच है और तुम जमीन पर नही आ सकते अगर खेत की तरफ मुंह करके देखा हाथ पैर तोड़ देंगे, अप्रार्थीगण ने ऐलानिया कहा कि हमने जमीन की फर्जी लिखापढी कर रखी है। अप्रार्थीगण लडालू झगडालू किस्म के व्यक्ति है और प्रार्थीगण की भूमि को हडपने की नियत से रंजिश रखते है । अप्रार्थीगण न० 1 ता 5 ने जबरन लठ के जोर पर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में प्रार्थीगण के द्वारा रहनशुद्वा रकम अदा करने के बावजूद भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि से कब्जा हटाने में आना कानी कर रहे है और प्रार्थीगण को गाली गलोच कर प्रार्थीगण से लडाई झगडा कर अशान्ति फैलाने पर आमदा है। इस कारण अप्रार्थीगण न० 1 ता 5 को प्रार्थीगण की भूमि में से बेदखल कर कब्जा प्रार्थीगण को दिलाया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण न० 1 ता 5 ने प्रार्थीगण के द्वारा रहनशुद्वा रकम अदा करने के बावजूद भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि से कब्जा हटाने में आना कानी कर रहे है। और प्रार्थीगण को गाली गलोच कर प्रार्थीगण से लडाई झगडा कर अशान्ति फैलाने पर आमदा है। मोके पर लडाई झगडा कर अनहोनी घटना कारित करने पर आमादा रहते है। इस कारण अप्रार्थीगण न० 1 ता 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण न० 1 ता 5 स्वयं जरिये नोकर चाकर, दीगर पारिवारिक सदस्यों के प्रार्थीगण को अपनी भूमि में कब्जा काश्त करने, तारबन्दी करने व अन्य किसी भी कार्य करने के लिये मजामत नही करे, गाली गलोच नही करे व पाबन्द रहे। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 417 खसरा न0 430 रकबा 0.29 है0 भूमि वाके ग्राम संथली पटवार हल्का संथली तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है में से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर प्रार्थीगण को कब्जा दिलवाया जावे एंव अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में किसी प्रकार से स्वंय, नोकर चाकर, दिगर पारिवारीक सदस्यों के मजामहत नही करें एवं प्रार्थीगण को किसी प्रकार से गाली गलोच नही करें। लडाई झगडा नही करें एंव पाबन्द रहें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

Sd/-

Scanned with CamScanner

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी नें अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। वाके ग्राम संथली तहसील देवली की जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता 417 में दर्ज ख. नं. खसरा न0 430 रकबा 0.29 है0 के खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिपक्ष के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। उक्त तथ्यो के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण उक्त आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार होने से अप्रार्थीगण को पाबन्द करने का अधिकार रखते है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता 417 में दर्ज ख. नं. खसरा न0 430 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम संथली तहसील देवली में प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में किसी प्रकार से स्वंय, नोकर चाकर, दिगर पारिवारीक सदस्यों के मजामहत नही करें एवं प्रार्थीगण को किसी प्रकार से गाली गलोच नही करें। लडाई झगडा नही करें एंव पाबन्द रहें। मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली वाद के साथ हमफिता हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with CamScanner